दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 7263/2007

निर्मला एवं अन्य ..... याचीगण

द्वारा: श्री रमन दुग्गल, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री रीता कौल, प्र-1 और प्र-3 हेतु अधिवक्ता
श्री जितेंद्र खन्ना, भारतीय विश्वविद्यालय संघ हेतु अधिवक्ता
श्री अमितेश कुमार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु अधिवक्ता
सुश्री जुबैदा बेगम, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेतु अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 8822/2007

भारती कोली एवं अन्य ..... याचीगण

द्वारा: श्री रमन दुग्गल, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री जुबैदा बेगम, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेतु अधिवक्ता

श्री नीरज यादव, सुश्री रुचि सिधवानी हेतु, प्र-3 हेतु अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 1311/2008

हितेश धिरिया ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रमन दुग्गल, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री जुबैदा बेगम, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेतु अधिवक्ता, श्री नीरज यादव, सुश्री रुचि सिधवानी हेतु, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्ता।

रि.या.(सि.) 7690/2007

देवेंदर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रमन दुग्गल, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री जुबैदा बेगम, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हेतु अधिवक्ता, सुश्री सोनिया शर्मा, प्र-1 और प्र-3 हेतु अधिवक्ता।

<u>निर्णय की तिथि:</u>

07.07.2008

<u>कोरम:</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं?

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए?

: **न्या. प्रदीप नंदराजोग** (मौखिक)

1. नियम।

2. निपटान के लिए सुनवाई की गई।

3. उपर्युक्त शीर्षक वाली याचिकाओं में विचार हेतु एक संक्षिप्त प्रश्न उठता है।

4. यह विवाद में नहीं है कि सभी रिट याचीगण जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और उनमें से प्रत्येक को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की गई है, जो प्रमाणित करता है कि याचीगण के पास ललित कला स्नातक (बीएफए) की डिग्री है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा संचालित उक्त पाठ्यक्रम चार वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह विवाद में नहीं है कि यह कोर्स एक डिग्री कोर्स है। यूजीसी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दिए गए इस बयान पर भी कोई विवाद नहीं है कि

जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक केन्द्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है और इसे लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यूजीसी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विचाराधीन डिग्री यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

5. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चित्रकला शिक्षकों के 605 रिक्त पदों के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पात्र उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि उक्त पदों को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तहत भरा जाना आवश्यक था। यह बताया गया कि ये पद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों में कला शिक्षकों के हैं।

6. चित्रकला शिक्षकों के पद के लिए लागू भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक अर्हताएं अधिसूचित की गई थी। वह निम्नानुसार हैं: -

> "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चित्रकला और पेंटिंग/ललित कला में एम.ए.
>
> या
>
> कला और कला शिक्षा में बी.ए. (ऑनर्स)
>
> या
>
> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम दो साल के पूर्णकालिक डिप्लोमा के साथ चित्रकला और पेंटिंग कला / ललित कला / कला के साथ बी.ए. / एम.ए.
>
> या
>
> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से चित्रकला/ललित कला में न्यूनतम चार वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा के साथ उच्चतर माध्यमिक/इंटरमीडिएट।

7. याचीगण ने उक्त सार्वजनिक सूचना के तहत डी.एस.एस.एस.बी. के अनुसरण में आवेदन किया। याचीगण का कहना है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा उन्हें बी.एफ.ए. में प्रदान की गई डिग्री ऑनर्स में स्नातक की डिग्री है, अर्थात यह डिग्री कला और शिक्षा में बीए (ऑनर्स) डिग्री है।

8. याचीगण को तब थोड़ा आश्चर्य हुआ जब डीएसएसएसबी द्वारा उनके परिणाम घोषित नहीं किये गये। उनका दावा है कि उनके द्वारा की गई जांच के बाद यह जानकारी मिली कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा दी गई डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं थी।

9. याचीगण ने अपने विभागाध्यक्ष से निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किए:-

"<u>जिसके लिए यह संबंधित है</u>

यह प्रमाणित करने के लिए कि हमने कला और शिक्षा पाठ्यक्रम में बी.ए. (ऑनर्स) को 1982 में ललित कला स्नातक में 4 साल की डिग्री कोर्स में संशोधित किया है (अनुप्रयुक्त चित्रकला/कला शिक्षा/मूर्तिकला)

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को 1988 के जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम 1988 (59) के तहत संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया।

जे.एम.आई. द्वारा प्रदान किए गए सभी पाठ्यक्रम/डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

भारत का प्रत्येक नागरिक संसद के अधिनियम और उसके निर्णयों को मान्यता देने के लिए बाध्य है।

संसद के किसी भी निर्णय से इनकार करना न्यायालय में चुनौती का विषय है।"

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बी.एफ.ए. की डिग्री कला और कला शिक्षा में बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री के अलावा और कुछ नहीं थी। इसके बावजूद, याचीगण को सफलता नहीं मिली और इसलिए उपरोक्त याचिकाओं को दायर करने के लिए विवश है।

11. रिट याचिकाओं के पैरा 10 से 15 में याचीगण ने निम्नलिखित दावा किया है:: -

"10. इसके बाद याचीगण और इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों ने घोषित परिणामों में उनके नाम शामिल न किए जाने के कारणों का पता लगाने और 605 पदों के पूर्ण परिणाम घोषित न करने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया था, याचीगण को सूचित किया गया था कि परिणाम रोक दिए गए थे क्योंकि उक्त भर्ती प्रक्रिया भर्ती नियम 1983 के तहत आयोजित की गई थी और प्रत्यर्थीगण के अनुसरण में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी.एफ.ए. डिग्री धारक उम्मीदवार चित्रकला शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं थे। तदनुसार, याचीगण ने आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संपर्क किया, जिसके अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक 10.9.2007 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने

वर्ष 1982 में कला और शिक्षा में अपने **बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को 'बी.एफ.ए. चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम'** में संशोधित किया है। दिनांक 10.9.2007 के उक्त प्रमाण पत्र में आगे कहा गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को संसद के अधिनियम जामिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 59) द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था और इसके द्वारा प्रदान किए गए सभी पाठ्यक्रम/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 10.9.2007 और दिनांक 17.9.2007 के प्रमाण पत्र की सत्य और सही प्रतिलिपि और जामिया मिल्लिया विवरण पुस्तक के अंशों के प्रासंगिक भाग को **अनुलग्नक-पी6 (संयु.)** के रूप में सही रूप से चिह्नित किया गया है।

11. इसके तुरंत बाद याचीगण ने प्रत्यर्थीगण को दिनांक 11.9.2007 को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें दिनांक 10.9.2007 के प्रमाण पत्र में बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया था और उपरोक्त के अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया था कि भर्ती नियमावली के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से चित्रकला में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, जबकि मामले का तथ्य यह है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है और **'बी.ए. (ऑनर्स) कला और कला शिक्षा'** पाठ्यक्रम को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित/परिवर्तित कर **'बी.एफ.ए. चार वर्षीय डिग्री कोर्स'** वर्ष 1982 में मान्यता प्राप्त है और इसलिए यदि बी.ए. (ऑनर्स) कोर्स को मान्यता प्राप्त है तो बी.एफ.ए. कोर्स को मान्यता न देने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय आदि द्वारा जारी बी.एफ.ए. कोर्स की समान डिग्री को भर्ती नियम 1983 द्वारा

मान्यता प्राप्त है। दिनांक 11.9.2007 के अभ्यावेदन की सत्य और सही प्रतिलिपि इसके साथ उपबंधित की जा रही है और **अनुलग्नक-पी-7 (संयु.)** के रूप में चिह्नित की जा रही है।

12. जैसा कि पहले कहा गया है, जब याचिकाकर्ता और जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी बी.एफ.ए. डिग्री धारक अन्य समान पदस्थ व्यक्ति यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किस आधार पर उनका नाम चयनित उम्मीदवारों में नहीं आया और साथ ही प्रत्यर्थीगण द्वारा अन्य परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, तो एशियन एज समाचार पत्र, नई दिल्ली संस्करण में दिनांक 12.9.2007 को प्रकाशित एक अन्य विज्ञापन सं. 07/2007 में चित्रकला शिक्षक (पोस्ट कोड सं. 162/2007) के लिए नई भर्ती प्रक्रिया के लिए फिर से रिक्तियां घोषित की गईं। उक्त विज्ञापन में मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची दिखाई गई, जिसमें बी.एफ.ए. कला स्नातक (डिग्री), दिल्ली को मान्यता प्राप्त है। याचीगण का प्रतिविरोध यह है कि याचीगण ने **जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, दिल्ली से बी.एफ.ए. (डिग्री)** प्राप्त की है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.एफ.ए. (डिग्री)** उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्यर्थीगण द्वारा नियुक्ति के लिए चुना गया था, जबकि, याचीगण जो दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले के समान ही स्थित हैं, मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से नियुक्ति से इनकार कर दिया गया है। एशियन एज के नई दिल्ली संस्करण में दिनांक 12.9.2007 को प्रकाशित समाचार पत्र विज्ञापन सं. 07/2007 के प्रासंगिक भाग की सत्य एवं सही प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जा रही है तथा इसे **अनुलग्नक-पी-8** के रूप में अंकित किया गया है।

13. इसके तुरंत बाद याचीगण ने दिनांक 13.9.2007 को दो अभ्यावेदन दिए थे, जिसमें प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रत्यर्थीगण ने यह रुख अपनाया था कि भर्ती

नियमावली, 1983 वे नियम थे जिनका पालन चित्रकला शिक्षक की भर्ती के लिए किया गया था और तदनुसार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी योग्यता मुख्य रूप से बी.एफ.ए. डिग्री को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं माना गया और इस आधार पर याचीगण की उम्मीदवारी पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया। आगे यह प्रतिविरोध किया गया कि प्रत्यर्थीगण का उपरोक्त रुख कानून की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जे.एम.आई. द्वारा दी गई उक्त डिग्री एक मान्यता प्राप्त डिग्री है, जो बी.ए.(ऑनर्स) डिग्री के समकक्ष है, जो एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है। यह भी कहा गया था कि वास्तव में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कला और कला शिक्षा में बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री संचालित करता था और उक्त डिग्री को चित्रकला शिक्षक के लिए विज्ञापन में योग्यता डिग्री के रूप में निर्धारित किया गया था और बाद में उक्त डिग्री का नामकरण कला शिक्षा में बी.एफ.ए. कर दिया गया था और इसलिए सभी व्यावहारिक और अन्य उद्देश्यों के लिए कला शिक्षा में बी.एफ.ए. और इसलिए सभी व्यावहारिक और अन्य उद्देश्यों के लिए बी.एफ.ए. की डिग्री जे.एम.आई. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी कला और कला शिक्षा में बी.ए.(ऑनर्स) की डिग्री के बराबर है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जे.एम.आई. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विवरण पुस्तिका और प्रमाण पत्र की प्रतियां भी दिनांक 13.9.2007 के उक्त अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई थीं। दिनांक 13.9.2007 को निवेदित अभ्यावेदन में यह भी निवेदित किया गया कि बी.एफ.ए. की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भी प्रदान की जाती है, जिसमें बी.एफ.ए. की डिग्री के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समान पाठ्यक्रम है और दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.एफ.ए. की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को दिनांक 2.9.2007 को घोषित परिणामों में चुना गया है और इसलिए प्रत्यर्थीगण के पास चित्रकला शिक्षक(प्रशिक्षित स्नातक

शिक्षक) के पद पर नियुक्ति के लिए याचीगण के नाम पर विचार न करने का कोई कारण नहीं था, केवल इस आधार पर कि उनके द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से प्राप्त बी.एफ.ए. स्नातक की डिग्री विज्ञापन/भर्ती नियमावली में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूची में नहीं दिखाई गई है। आगे यह भी कहा गया था कि भर्ती नियमावली, 1983 में उल्लेख किया गया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से चित्रकला में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है, जबकि तथ्य यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय वर्तमान में ऐसा कोई पाठ्यक्रम संचालित ही नहीं करता है। यह भी बताया गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.एफ.ए. डिग्री रखने वाले कई उम्मीदवारों को केन्द्रीय विद्यालय संघ में चित्रकला शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.ए. डिग्री पात्रता योग्यता है। चित्रकला शिक्षक के पद के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमावली की एक प्रति **अनुलग्नक पी-9** के रूप में उपबंधित है। वास्तव में, बी.एफ.ए. कोर्स ही एकमात्र कोर्स है, जो याचीगण द्वारा किया गया है, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री के रूप में उपलब्ध है। इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि दिलचस्प बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से ललित कला स्नातकोत्तर कोर्स किया है, वे दिनांक 2.9.2007 को घोषित परिणामों में चयनित हुए हैं और इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि ललित कला स्नातकोत्तर कोर्स को विज्ञापन में मूल आवश्यक/वांछनीय पात्रता कोर्स के रूप में विहित नहीं किया गया है इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब ललित कला स्नातकोत्तर की डिग्री को प्रत्यर्थीगण द्वारा मान्यता प्राप्त पात्रता पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो ललित कला स्नातक पाठ्यक्रम

को उक्त पद के लिए मान्यता प्राप्त पात्र पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। याचीगण ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी बी.एफ.ए. डिग्री धारक उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा की मांग की थी। दिनांक 13.9.2007 के अभ्यावेदन की सत्य और सही प्रतिलिपि, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी विवरण पुस्तक से प्रासंगिक अंश के साथ, इसके साथ संलग्न की जा रही है और क्रमशः **अनुलग्नक पी-10 और पी-11** के रूप में चिह्नित की जा रही है।

14. इस स्तर पर यह स्वयं इंगित करना महत्वपूर्ण होगा कि चित्रकला शिक्षक के पद के लिए भर्ती वर्ष 2006 में डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित की गई है और उससे पहले शिक्षा निदेशक वर्तमान भर्ती नियमावली के अनुसार उक्त चित्रकला शिक्षकों की सीधी भर्ती करते थे और वर्ष 1993 से 1998 के दौरान शिक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को चित्रकला शिक्षक के रूप में चुना गया था, जिनके पास जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी एक ही बी.एफ.ए. डिग्री थी और इसलिए प्रत्यर्थी यह प्रतिविरोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम चित्रकला शिक्षक के रूप में चयन के लिए मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं है। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण इसके साथ संलग्न है तथा **अनुलग्नक पी-12** के रूप में चिह्नित है।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्नातकोत्तर शिक्षक/प्राध्यापक (पेंटिंग) के पद के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 भर्ती विनियमन के अनुसार, जिसे 1985 में संशोधित और अधिसूचित किया गया था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कला और कला शिक्षा में ललित कला स्नातक और बी.ए.(ऑनर्स) निर्धारित पात्रता योग्यता है। स्नातकोत्तर शिक्षक/प्राध्यापक के पद

के लिए उक्त भर्ती नियमावली की एक प्रति **अनुलग्नक पी-13** के रूप में चिह्नित है।

15. आगे बढ़ने से पहले, यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली प्रशासन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.12.1983 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.27/59 - एचआईएम (i) दिनांक 13.7.1959 के साथ पढ़ा जाए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रशासन दिनांक 5.9.1981 की अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कुछ संशोधन करने के लिए मुदित था। जिसमें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में चित्रकला शिक्षक (ज्यामितीय और मैकेनिकल चित्रकला के अलावा) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति और आवश्यक योग्यताओं के बारे में नियम शामिल थे। उक्त संशोधन में कहा गया था कि स्तम्भ 7 (सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं) के अंतर्गत **'कला और कला शिक्षा में बी.ए.(ऑनर्स)'** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में प्रदान किया गया था। उक्त अधिसूचना के 'नोट' में यह प्रावधान किया गया था कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों का विवरण प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, याचिकाकर्ता समझते हैं कि 1983 की अधिसूचना के बाद मान्यता प्राप्त संस्थानों का कोई विवरण अधिसूचित नहीं किया गया है जैसा कि विज्ञापन से ही स्पष्ट है। यह ध्यान देने योग्य है कि 1983 में संशोधन से पहले भर्ती नियमावली में दी गई मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची पुरानी हो गई है, क्योंकि अब कोई पांच वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि नहीं है; जैसा कि उक्त मान्यता प्राप्त संस्थानों में दर्शाया गया है। अधिसूचना दिनांक 15.12.1983 की सत्य और सही प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है और इसे **अनुलग्नक पी-14** के रूप में चिह्नित किया गया है। इस स्तर पर यह भी कहा जा सकता है

कि चित्रकला शिक्षक के पद के लिए भर्ती नियम शुरू में अधिसूचना सं. एफ-26 (9)/59-आर एवं एस, दिनांक 28.6.1960 द्वारा जारी किए गए थे, जिसे बाद में अधिसूचना सं. एफ.2 (9)/80-एस.II दिनांक 05.09.1981 द्वारा संशोधित किया गया था और फिर इसे अंतिम बार वर्ष 1983 में अधिसूचना सं. एफ.2(9)/80-एस, दिनांक 15.12.1983 द्वारा संशोधित किया गया था। उक्त भर्ती नियमावली में कला और कला शिक्षा में बी.ए. (ऑनर्स) को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है और इस तथ्य को इस तथ्य के साथ पढ़ने पर, सबसे **पहले** जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने अपने बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को संशोधित किया था। कला एंड शिक्षा' को 'बी.एफ.ए. चार वर्षीय डिग्री कोर्स' में बदल दिया गया है और **दूसरी** बात यह कि अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई बी.एफ.ए. कोर्स की डिग्री और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई ललित कला स्नातकोत्तर कोर्स को मान्यता प्राप्त कोर्स के रूप में स्वीकार किया गया है; यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थीगण के पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा संचालित बी.एफ.ए. डिग्री कोर्स को योग्य कोर्स के रूप में न मानने का कोई कारण/अवसर नहीं है।

12. नियुक्ति प्राधिकारी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दायर जवाब में, उक्त कथनों का जवाब निम्नानुसार दिया गया है: -

"10-12. रिट याचिका के पैराग्राफ 10 से 12 के जवाब में, यह आगे दोहराया गया है कि चित्रकला शिक्षकों के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियमावली के अनुसार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जारी ललित कला स्नातक की डिग्री को चित्रकला शिक्षकों के पद के लिए पात्र/आवश्यक योग्यता के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता चित्रकला शिक्षक के

पद के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, यह कहा गया है कि 4 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन अभी भी विचाराधीन है।

13-16. रिट याचिका के पैराग्राफ 13 से 16 के जवाब में, यह सम्मानपूर्वक निवेदित किया गया है कि उत्तर देने वाले प्रत्यर्थीगण भर्ती नियमावली के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं और वर्तमान भर्ती नियमावली में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ललित कला स्नातक डिग्री का उल्लेख चित्रकला शिक्षकों के पद के लिए योग्यता के लिए पात्र योग्यता के रूप में नहीं किया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता चित्रकला शिक्षक के पद के लिए पात्र नहीं हैं।

13. डी.एस.एस.एस.बी. का जवाब है कि स्नातक डिग्री के अलावा पात्रता की अन्य आवश्यकता दो वर्षीय डिप्लोमा की है।

14. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रश्नगत नियमावली पर विचार करते हुए, जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि किसी भी प्रत्यर्थी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थिति को केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में अस्वीकार नहीं किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सावधानी के माध्यम से यह ध्यान दिया जा सकता है कि यूजीसी का अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक रूप से न्यायालय को सूचित किया गया है कि यूजीसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रियों को मान्यता देता है।

15. यूजीसी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन डिग्री को विशेष रूप से यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री के रूप में मान्यता दी गई है।

16. दरअसल, प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया को डिग्री देने का अधिकार निर्विवाद है।

17. एकमात्र अगला प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि प्रश्नगत डिग्री की स्थिति क्या है।

18. रिट याचिका में दिए गए कथनों और विशेष रूप से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ललित कला और कला शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 10.9.2007 के प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बीएफए चार वर्षीय डिग्री स्नातक स्तर पर ऑनर्स डिग्री है।

19. पात्र भर्ती नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि दो प्रकार की स्नातक डिग्रियों को मान्यता दी गई है। सबसे पहले, स्नातक में ऑनर्स डिग्री को मान्यता दी जाती है। दूसरे, एक साधारण बी.ए. डिग्री यानी स्नातक में एक साधारण डिग्री को भी मान्यता दी जाती है। दो वर्ष के पूर्णकालिक डिप्लोमा की आवश्यकता, बिना ऑनर्स वाले स्नातक डिग्री के समान ही है। पात्र भर्ती नियमों के तहत दो वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा आवश्यक नहीं है, जहां उम्मीदवार के पास स्नातक स्तर पर ऑनर्स की डिग्री हो।

20. इस संबंध में यह अभिलेखित करना असंगत नहीं है कि यह याचीगण का सकारात्मक मामला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी बी.एफ.ए. चार वर्ष का डिग्री कोर्स प्रदान कर रहा है, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा स्नातक स्तर की ऑनर्स डिग्री के रूप में माना जा रहा है। इस प्रकार, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा प्रदान किए गए इसी तरह के ललित कला

स्नातक चार साल के डिग्री कोर्स को बी.ए. ऑनर्स के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डिग्री का नामकरण ललित कला की डिग्री में स्नातक हो सकती है, लेकिन जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह वास्तव में स्नातक स्तर की ऑनर्स डिग्री है।

21. निष्कर्ष निकालने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचीगण द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किए गए एक प्रश्न के जवाब में, प्रत्यर्थीगण की प्रतिक्रिया यह है कि 1983 से 2007 तक, प्रत्यर्थीगण ने कई चित्रकला शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने बी.एफ.ए. की डिग्री प्राप्त की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहां तक कि प्रत्यर्थी भी बी.ए. (ऑनर्स) डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त डिग्री के रूप में बी.एफ.ए. डिग्री ग्रहण किए हुए हैं।

22. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मूल भर्ती नियम दिखाए हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त संस्थानों के नाम दिए गए हैं। बी.एफ.ए. डिग्री के संबंध में केवल दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री को ही मान्यता प्राप्त डिग्री के रूप में दिखाया गया है।

23. मैंने प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता से विशेष रूप से पूछा है कि क्या यह मान्यता प्रत्यर्थीगण का आंतरिक कार्य है या मान्यता के मुद्दे पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से किसी संचार द्वारा समर्थित है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता इस प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहे हैं, और न ही भारतीय

विश्वविद्यालय संघ की ओर से कोई संचार दिखाया है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बी.एफ.ए. में जारी की गई डिग्री को ही उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है।

24. एक बार फिर, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह यूजीसी द्वारा वित्त पोषित है, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रश्न में पाठ्यक्रम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस यूजीसी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को न केवल ललित कला में स्नातक पाठ्यक्रम (ऑनर्स) संचालित करने की अनुमति दी है, बल्कि इसे सफल छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किया।

25. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जानी चाहिए।

26. निष्कर्ष निकालने से पहले याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि याचीगण की तुलना में योग्यता में कम उम्मीदवारों को प्रत्यर्थीगण द्वारा नियुक्त किया गया है।

27. इसके बावजूद, मैं अभी भी प्रत्यर्थीगण को उक्त तथ्य को फिर से सत्यापित करने का अवसर प्रदान करता हूं।

28. रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि चूंकि याचीगण के पास बी.एफ.ए. में जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा प्रदान की

गई ललित कला स्नातक डिग्री है, जो याचीगण द्वारा किए गए चार साल के डिग्री कोर्स के अनुसार है, और डिग्री स्नातक में ऑनर्स की डिग्री है, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण के तहत नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इसलिए, मैं प्रत्यर्थीगण को निर्देश देता हूं कि वे याचीगण के परिणाम तुरंत घोषित करें और यदि याचीगण सफल उम्मीदवार हैं तो उन्हें कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के अधीन तत्काल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। याचीगण अपनी वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे, लेकिन यदि वर्तमान आदेश के परिणामस्वरूप याचीगण को प्रत्यर्थीगण के अधीन रोजगार दिया जाना है तो उन्हें पिछले वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

29. कोई लागत नहीं।

न्या. प्रदीप नंदराजोग

जुलाई 07, 2008
एम.एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*